( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 52 / 2024**

**रजिस्ट्रेशन सं. :– 2023 / 211**

**बउनवान**

राज. सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

**(प्रार्थी)**

**बनाम**

1. श्री पराग टॉंगिया पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन उम्र 40 वर्ष जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड, बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स पराग ट्रैडर्स, अस्पताल रोड, बारॉ (राज.)
2. मैसर्स पराग ट्रैडर्स, अस्पताल रोड, बारॉ (राज.)
3. श्री रोहित कुमार गौतम पुत्र श्री चंद्रप्रकाश गौतम निवासी 621 टाइम किंग टेलर की गली, बालाकुंड केशवपुरा कोटा (नोमिनी) मैसर्स बुंगे इण्डिया प्रा. लि. प्लाट नं0 बी–88 (बी) रोड नं0 4 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कोटा
4. मैसर्स बुंगे इण्डिया प्रा. लि. प्लाट नं0 बी–88 (बी) रोड नं0 4 इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया कोटा
5. श्री नंदनिया हर्षदभाई रावजीभाई निवासी रवि पैलेस पुनीत नगर जेतपुर रोड गोण्डल राजकोट (निदेशक एवं नोमिनी) मैसर्स धनलक्ष्मी एडिबल प्रा.लि. एनएच 27, राजकोट गोण्डल रोड, बी / एच भारत पैट्रोल पंप एट सेमला ताल. गोण्डल जिला राजकोट 360311 गुजरात
6. मैसर्स धनलक्ष्मी एडिबल प्रा.लि. एनएच 27, राजकोट गोण्डल रोड, बी / एच भारत पैट्रोल पंप एट सेमला ताल. गोण्डल जिला राजकोट 360311 गुजरात

**(अप्रार्थीगण)**

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 ता 4)
3– श्री हिमांशु जैन अभिभाषक (अप्रार्थी कम 5 एवं 6)

## निर्णय दिनांक 03.05.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.12.2022 को मैसर्स पराग ट्रैडर्स, अस्पताल रोड, बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री पराग टॉंगिया पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.12.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक / एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दि. 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2012 एवं 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विकय हेतु **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** मे मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना लेने जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** की 04 मूल एक लीटर पैक बोतल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री पराग टॉंगिया पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन (विक्रेता एवं मालिक) को 720 / – रूपये (अक्षरे सात सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** के चारों भागों पर प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1608 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1608 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री पराग टोंगिया पुत्र श्री प्रकाश चंद जैन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/08 दिनांक 03.01.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1597/PHL/Kota/Act/2023/1601 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

**राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां** ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

**अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा** दौराने ब[illegible] प्र[illegible] जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] ऐसा कोई [illegible] अथवा दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि जिस प्रयोगशाला में [illegible] की जांच की गई है वह NABL प्राधिकृत प्रयोगशाला है अथवा नहीं। जबकि FSS Act, 2006 की धारा 3(P) तथा 43 (1) के तहत NABL प्राधिकृत अथवा FSS द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में तैयार विश्लेषण/[illegible]च रिपोर्ट हीं वैध है अन्यथा वह जांच रिपोर्ट अवैध व अमान्य है। पत्रावली में कहीं भी नमूने की छायाप्रति संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में नमूने का अवलोकन कर इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकती कि बोतल पर एक्सपायरी डेट अंकित थी अथवा नहीं। खाद्य विश्लेषक द्वारा किस विशेष विधि को अपनाकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है उसका विवरण पत्रावली में कहीं नहीं किया गया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

**प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1597/PHL/Kota/Act/2023/1601 दिनांक 26.12.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**प्रकरण में उभयपक्ष की** अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय **फिल्टर्ड मूंगफली तेल (चंबल फ्रेश) एक लीटर मूल पैक पैट बोतल** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1597/PHL/Kota/Act/2023/1601 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप** (Misbranded) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम क्रम 05 एवं 06 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 05 एवं 06 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **03.05.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( दिवांशु शर्मा )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested